अभिलाषा एन0 मवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा (म0प्र0)
कार्य विभाजन आदेश–2020

क्रमांक / 28 / का0वि0 / 2019 छिन्दवाड़ा, दिनांक 28.12.2019

दं0प्र0सं0 1973 की धारा 15 (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अभिलाषा एन0 मवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक कार्य विभाजन आदेश मान्नीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार किया जाता है।

यह आदेश दिनांक **02 / 01 / 2020** से प्रभावशील होगा।

	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	**आरक्षी केन्द्र का नाम**	**कार्य एवं क्षेत्राधिकार**
01	श्रीमती अभिलाषा एन0 मवार मुख्य न्या0मजि0 छिन्दवाडा म0प्र0	1.थाना कोतवाली 2.थाना यातायात 3.जी.आर.पी. छिंदवाडा 4.आबकारी वृत्त छिंदवाडा कं 1 व 2 से उद्भूत म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण। 5. सम्पूर्ण जिले में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 6.आरक्षी केन्द्र कोतवाली,	1. थाना सिटी कोतवाली एवं उनसे संबंधित चौकी, यातायात थाना छिंदवाडा, जी0आर0पी0 छिंदवाडा से उद्भूत समस्त दाण्डिक प्रकरणों का विचारण और परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। **(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गए अभियोग पत्रों का विचारण और परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण तथा ग्राम न्यायालय जनपद छिंदवाडा के क्षेत्राधिकार के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)** 2. नगर निगम छिन्दवाड़ा से उद्भूत नगर निगम अधिनियम / नगर निगम अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की जांच एवं विचारण। 3. आरक्षी केन्द्र कोतवाली से उद्भूत म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित आबकारी अधिनियम 2000 से उद्भूत धारा 34(2) के अपराध से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एंव परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. उक्त आरक्षी क्षेत्र से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 5. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के**

		यातायात एवं जी0आर0पी के वन विभाग से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण। 7.आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, परतला, कुण्डीपुरा, मोहखेड़, लावाघोघारी एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त क्षेत्र से खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना।	**क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 तथा फैक्ट्री अधिनियम और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 6. सम्पूर्ण जिले में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। **(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर का क्षेत्राधिकार जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी : माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत अपराध अंतर्गत वन्य प्राणी/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर**) 7. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, यातायात एवं जी0आर0पी एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में**) 8. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, परतला, कुण्डीपुरा, मोहखेड़, लावाघोघरी एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त क्षेत्र से खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में**) 9. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न

			मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 10. भूमि अर्जन पुर्नवाशन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 90 के अधीन प्रस्तुत होने वाले थाना कोतवाली, देहात, परतला, कुण्डीपुरा, मोहखेड़, लावाघोघरी एवं उनसे संबंधित चौकियों के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 11. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना कमांक–ए/820/3–10–40/78 **(आर्थिक अपराध)** जबलपुर दिनांक 11–02–02, के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के न्यायालय को जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतुल एवं नरसिंहपुर की सीमाओं से उत्पन्न निम्नलिखित अधिनियमों के लिए विशेष न्यायालय घोषित किया गया हैः– (अ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 (ब) विदेश व्यापार (विनियमय) अधिनियम 1922 (स) कंपनी अधिनियम 1956 (द) दानकर अधिनियम 1957 (इ) धनकर अधिनियम1957 (प) आयकर अधिनियम 1961 (फ) सीमा शुल्क अधिनियम 1972 (ट) निर्यात क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 (ठ) कंपनीज (लाभ अतिकर) अधिनियम 1964 (ड) एकाधिकार अधिनियम एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (ढ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 से संबंधित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी करना। 12. थाना सिटी कोतवाली मय चौकी द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 13. थाना सिटी कोतवाली एवं जी0आर0पी0

			थाना के खात्मा प्रकरण एवं सम्पूर्ण जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत खारिजी प्रकरणों का निराकरण। 14. अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 15. स्वंय के थाना क्षेत्र के साथ सम्पूर्ण जिले में स्वयं अथवा स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले या अन्य क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सहयोग से आकस्मिक वाहन चैकिंग करना तथा चलित न्यायालय लगाना।
02	श्रीमती चैनवती ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	————————	1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।
03	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	1.थाना कुंडीपुरा (चौकी धरमटेकडी)	1. आरक्षी केन्द्र कुण्डीपुरा चौकी धरमटेकडी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र उनसे संबंधित चौकियों से उद्भूत धारा 138 परा0लि0अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरणों की जांच एवं विचारण करना। 4. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी द्व ारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर**

			जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है) का विचारण करना। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकी के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. आरक्षी केन्द्र कुण्डीपुरा एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 8. **आरक्षी केन्द्र कोतवाली, कुण्डीपुरा, देहात, जी0आर0पी0, मोहखेड़, लावाघोधारी एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियां के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण का विचारण।** 9. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्वारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14.06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 10. उक्त पुलिस चौकी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 11. उक्त पुलिस चौकी के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 13. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
04	श्री प्रदीप सोनी, न्यायिक	1—थाना देहात 2—ग्राम न्यायालय	1. थाना देहात एवं उनसे संबंधित चौकी से उद्भूत समस्त दाण्डिक प्रकरणों का विचारण

	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	जनपद छिंदवाड़ा	और परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। **(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गए अभियोग पत्रों का विचारण और परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण को छोड़कर)** 2. उक्त आरक्षी क्षेत्रों से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 4. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 तथा फैक्ट्री अधिनियम और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकी के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 6. थाना देहात एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 8. उक्त पुलिस चौकी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से

			उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. ग्राम न्यायालय जनपद छिंदवाडा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत दाण्डिक प्रकरणों का विचारण करना। **(ग्राम न्यायालय जनपद छिंदवाड़ा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रकरणो का विचारण। (माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक d/394/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)।** 10. उक्त पुलिस चौकी के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
05	सुश्री अंशुल मंगल, न्यायिक मजिस्ट्रैट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	1–पुलिस थाना मोहखेड चौकी उमरानाला सहित।	1. थाना मोहखेड एवं चौकी से उद्भूत समस्त दाण्डिक प्रकरणों का विचारण और परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। **(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों एवं ग्राम न्यायालय जनपद छिंदवाडा के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)।** 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. उक्त आरक्षी क्षेत्र से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 4. आरक्षी केन्द्र मोहखेड एवं उससे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना।

			5. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकी द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्व ारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र एंव उनसे संबंधित चौकी के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 8. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 9. उक्त आरक्षी केन्द्र एंव उनसे संबंधित चौकी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 10. उक्त आरक्षी केन्द्र एंव उनसे संबंधित चौकी के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
06	सुश्री प्रियंका सुमन,	पुलिस थाना लावाघोघरी	1. पुलिस थाना लावाघोघरी पुलिस चौकी सांवरी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं

	न्या0मजि0प्र0 श्रेणी छिंदवाडा	पुलिस चौकी सांवरी	अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। **(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों एवं ग्राम न्यायालय जनपद छिंदवाडा के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) ।** 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित चौकी से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 4. आरक्षी केन्द्र लावाघोघरी एवं उससे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 5. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 6. उक्त पुलिस चौकी द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना । 7. उक्त पुलिस चौकी के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 8. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न

			मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 9. उक्त पुलिस चौकी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 10. उक्त पुलिस चौकी के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
07	गुरूवेन्द्र कुमार हुरमाडे जे0एम0एस0सी0	——/——	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।
08	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, जे0एम0एस0सी0 छिन्दवाडा	——/——	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।
09	श्री प्रियांशु पांण्डेय, जे0एम0एस0सी0 छिन्दवाडा	——/——	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।
थाना–चौरई			
10	श्रीमती पुष्पा तिलगाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा	1– थाना चौरई चौकी हीवरखेडी सहित 2– आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद से उद्भूत वन क्षेत्र में वन परिक्षेत्राधिकारी द्व ारा वन विधियों के अधीन प्रस्तुत	1. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं उसकी चौकी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

		परिवाद (उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर) 3–आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त क्षेत्र से खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 4– सम्पूर्ण आबकारी वृत्त चौरई से उद्भूत म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित अधिनियम 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण	के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. पुलिस थाना चौरई एवं उसकी चौकी से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच और विचारण करना। 5. पुलिस थाना चौरई एवं उसकी चौकी द्व ारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 6. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं उसकी चौकी के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 8. आरक्षी केन्द्र चौरई की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. आरक्षी केन्द्र चौरई (चौकी हीवरखेडी सहित) के वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर)**

			(<u>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर का क्षेत्राधिकार जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी :</u> माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत अपराध अंतर्गत वन्य प्राणी/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर) **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 10. आरक्षी केन्द्र चौरई (चौकी हीवरखेडी सहित) के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 11. आरक्षी केन्द्र चांद, चौरई (चौकी हीवरखेडी) के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक d/394/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 09. 01.2014 एवं C/1864/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)।** 12. आरक्षी केन्द्र चौरई व चांद के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी करना। 13. आरक्षी केन्द्र चौरई के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना।

			14. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
11	सुश्री भानू पडंवार, न्या0मजि0प्र0 श्रेणी चौरई जिला छिंदवाडा	1– थाना चांद	1. आरक्षी केन्द्र चांद के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. पुलिस थाना चांद से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच और विचारण करना। 5. पुलिस थाना चांद द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 6. आरक्षी केन्द्र चांद के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों**

			को छोडकर। 8. आरक्षी केन्द्र चांद की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. आरक्षी केन्द्र चांद के वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(आरक्षी केन्द्र चांदं से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर)** **(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर का क्षेत्राधिकार जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी : माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत अपराध अंतर्गत वन्य प्राणी/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर)** **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 10. आरक्षी केन्द्र चांद के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 11. आरक्षी क्षेत्र चांद के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 13. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं

			सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
थाना–परासिया			
12	श्री अयान गिरदोनिया, न्या0मजि0प्र0 श्रेणी परासिया, जिला छिंदवाडा	1– थाना परासिया (चौकी न्यूटन सहित) 2–थाना चांदामेटा (चौकी बड़कुही सहित) 3– आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा, चांदामेटा, उमरेठ, शिवपुरी तथा उनसे संबंधित चौकियों से उद्भूत वन क्षेत्र में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा वन विधियों के अधीन प्रस्तुत परिवाद (उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर) 4– आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा, चांदामेटा, उमरेठ एवं उनसे संबंधित चौकियों	1. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. पुलिस थाना परासिया (चौकी न्यूटन सहित) एवं पुलिस थाना चांदामेटा (चौकी बड़कुही सहित) क्षेत्र से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच और विचारण करना। 5. पुलिस थाना परासिया (चौकी न्यूटन सहित) एवं पुलिस थाना चांदामेटा (चौकी बड़कुही सहित) द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्व ारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर**

		से उद्भूत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। क्रमांक 5– सम्पूर्ण आबकारी वृत्त परासिया एवं चांदामेटा से उद्भूत म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित अधिनियम 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण	**का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा/शिवपुरी, चांदामेटा उमरेठ एव शिवपुरी उनसे संबंधित पुलिस चौकियां के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक d/394/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में) ।** 10. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा/शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ एवं उनसे संबंधित चौकियों के वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर)** **(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर का क्षेत्राधिकार जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी : माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक C/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत अपराध अंतर्गत वन्य प्राणी/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर)** **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक**

			27.04.2017 के पालन में) 11. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा/शिवपुरी चांदामेटा, उमरेठ, एवं उनसे संबंधित चौकियों के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में**) 12. आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी करना। 13. उक्त आरक्षी क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 14. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
13	श्रीमती तबस्सुम खान न्या0 मजि0 प्र0 श्रेणी परासिया, जिला छिन्दवाड़ा		माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।
14	श्री अल्तमस रहमान, न्या0मजि0प्र0 श्रेणी परासिया, जिला छिंदवाडा	1–थाना रावनवाडा/ शिवपुरी 2–थाना उमरेठ	1. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं

			कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच और विचारण करना। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. उक्त आरक्षी क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
थाना– जुन्नारदेव			
15	श्री रूपेश नाइक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा	1– थाना जुन्नारदेव (चौकी डुंगरिया व (गुढीअंबाडा सहित) 2–नवेगांव	1. उक्त आरक्षी केन्द्रों एवं पुलिस चौकी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से

		3—थाना दमुआ 4—आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, दमुआ, नवेगांव एवं उनसे संबंधित चौकियों से उद्भूत वन क्षेत्र में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा वन विधियों के अधीन प्रस्तुत परिवाद (उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर) 5—आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, नवेगांव, तामिया, दमुआ, नवेगांव, माहुलझिर एवं उनसे संबंधित चौकियों से उद्भूत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **6—** सम्म्पूर्ण आबकारी वृत्त	उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. पुलिस थाना क्षेत्र से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच और विचारण करना। 5. उक्त आरक्षी केन्द्रों द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्वारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, दमुआ, नवेगांव एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियां के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन**

		जुन्नारदेव, नवेगांव एवं दमुआ से उद्भूत म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित अधिनियम 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण	**कमांक d/394/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में) ।** 10. आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, दमुआ, नवेगांव एवं उनसे संबंधित चौकियों के वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर)** **(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर का क्षेत्राधिकार जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी : माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत अपराध अंतर्गत वन्य प्राणी/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर)** **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 11. आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, तामिया, दमुआ, नवेगांव, माहुलझिर एवं उनसे संबंधित चौकियों के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 12. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी करना। 13. उक्त आरक्षी क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विधियों

			एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 14. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
16	सुश्री सुधा पाण्डे, न्या0मजि0प्र0 श्रेणी, जुन्नारदेव जिला छिंदवाडा श्रृखंला न्यायालय	1—थाना तामिया (चौकी (देलाखारी सहित) 2—माहुलझिर	1. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनकी चौकियों से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच और विचारण करना। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनकी चौकियों से तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण जांच और विचारण करना। 6. आरक्षी केन्द्र तामिया, माहुलझिर उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध,

			धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई एवं विचारण। 7. आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच करना। 8. उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 9. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** **10**. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 11. उक्त आरक्षी क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 13. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
थाना– सौंसर			
17	श्री राकेश मरावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा	1–थाना सौंसर 2–लोधीखेडा 3–बिछुआ 4– मोहगांव 5– आरक्षी केन्द्र सौंसर लोधीखेडा मोहगांव व बिछुआ तथा उनसे संबंधित चौकियों से उद्भूत वन क्षेत्र	1. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के

		में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा वन विधियों के अधीन प्रस्तुत परिवाद (उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर) 4–आरक्षी केन्द्र सौंसर लोधीखेडा, मोहगांव व बिछुआ एवं उनसे संबंधित चौकियों से उद्भूत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 5–सम्पूर्ण आबकारी वृत्त सौंसर से उद्भूत म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित अधिनियम 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों	क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. पुलिस थाना सौंसर, मोहगांव व लोधीखेडा क्षेत्र से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच और विचारण करना। 5. पुलिस थाना सौंसर, मोहगांव व लोधीखेडा द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्वारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगर पालिका/नगर पंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. आरक्षी केन्द्र सौंसर, लोधीखेडा, मोहगांव, बिछुआ एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियां के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक d/394/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में) ।**

		से संबंधित प्रकरण	10. आरक्षी केन्द्र सौंसर, लोधीखेडा, मोहगांव एवं बिछुआ एवं उनसे संबंधित वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर)** **(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर का क्षेत्राधिकार जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी : माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत अपराध अंतर्गत वन्य प्राणी/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर)** **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 11. आरक्षी केन्द्र सौंसर, लोधीखेडा, मोहगांव एवं बिछुआ एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त क्षेत्र से खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 12. आरक्षी केन्द्र सौंसर एवं व लोधीखेडा मोहगांव के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी करना। 13. उक्त आरक्षी क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 14. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व

			ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
थाना–अमरवाडा			
18	सुश्री संध्या मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा	1–आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा (चौकी सिंगोडी सहित) 2–थाना अमरवाडा एवं उसकी चौकियों से उद्भूत वन क्षेत्र में वन परिक्षेत्राधिकारी द्व ारा वन विधियों के अधीन प्रस्तुत परिवाद (उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर) 3–उक्त आरक्षी केन्द्र उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त क्षेत्र से खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना।	1. उक्त आरक्षी केन्द्रों एवं पुलिस चौकी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनकी चौकियों से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच और विचारण करना। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनकी चौकियों से तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर**

		4. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त अमरवाडा से उद्भूत म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित अधिनियम 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण	**का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. आरक्षी केन्द्र अमरवाडा एवं उनकी चौकियों एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियां के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक d/394/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/84 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में) ।** 10. आरक्षी केन्द्र अमरवाडा एवं उनसे संबंधित चौकियों के वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर)** **(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर का क्षेत्राधिकार जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी : माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत अपराध अंतर्गत वन्य प्राणी/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर)** **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 11. आरक्षी केन्द्र अमरवाडा, बटकाखापा, हर्रई एवं उनसे संबंधित चौकियों के अंतर्गत खान एवं

			खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। (**माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में**) 12. आरक्षी केन्द्र अमरवाडा चौकी सिंगोडी हर्रई बटकाखापा के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी करना। 13. उक्त आरक्षी क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 14. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
19	सुश्री पलक राय,न्या0मजि0 प्र0श्रेणी, अमरवाडा जिला छिंदवाडा श्रृंखला न्यायालय	आरक्षी केन्द्र 1.हर्रई 2.बटकाखापा	1. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनकी चौकियों से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच

			और विचारण करना। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनकी चौकियों से तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण जांच और विचारण करना। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 08. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 09. आरक्षी केन्द्र बटकाखापा, हर्रई एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियां के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई एवं विचारण। 10. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 11. उक्त आरक्षी क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 13. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।

थाना – पांढुर्णा			
20	श्री जंग बहादुर सिंह न्या0मजि0प्र0 श्रेणी पाण्ढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा	1– पुलिस थाना पांढुर्णा (चौकी नांदनवाड़ी, बड़चिचोली सहित) 2–उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत वन क्षेत्र में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा वन विधियों के अधीन प्रस्तुत परिवाद (उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर) 3–उक्त आरक्षी केन्द्र उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त क्षेत्र से खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। 4–ग्राम न्यायालय जनपद पाढुंर्णा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत दाण्डिक	1. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। 2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोडकर)** और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। 4. पुलिस थाना पाढुंर्णा चौकी नांदनवाडी एवं बडचिचाचोली क्षेत्र से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित परिवादों की जांच और विचारण करना। 5. पुलिस थाना पाढुंर्णा चौकी नांदनवाडी एवं बडचिचोली द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण **(ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है)** का विचारण करना। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 7. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्व ारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14. 06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोडकर।** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से

		प्रकरण। क्रमांक 5 5–सम्पूर्ण आबकारी वृत्त पाढुंर्णा से उद्भूत म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित अधिनियम 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण	उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियां के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण की जांच एवं विचारण। 10. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोडकर)** **(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर का क्षेत्राधिकार जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी : माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत अपराध अंतर्गत वन्य प्राणी/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर)** **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 11. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त क्षेत्र से खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। **(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक C/1743/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं C/1864/III–6–6/90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के पालन में)** 12. आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी करना। 13. उक्त आरक्षी क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विधियों

			एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 14. ग्राम न्यायालय जनपद पाढुंर्णा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण। 15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्व ारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 16. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।

नोटः— आरक्षी केन्द्रों तामिया व माहुलझिर, हर्रई एवं बटकाखापा तथा उनसे संबंधित चौकी के अभियोग पत्र एवं समस्त कार्यवाही प्रत्येक माह की 1 तारीख से 10 तारीख तक श्रृखंला न्यायालय में प्रस्तुत होगे एवं उसके पश्चात् तहसील न्यायालय में पदस्थ न्यायिक अधिकारी के समक्ष यथावत् प्रस्तुत किये जायेगे।

—सही—
(अभिलाषा एन0 मवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाड़ा

परिशिष्ट —अ

धारा—164 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत साक्षियों एवं अभियुक्तगण के कथन/संस्वीकृतियां, निम्नानुसार उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से विवेचना अधिकारी या आरक्षी केन्द्र के भारसाधक अधिकारी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर विधि अनुरूप उनके समक्ष उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लेख की जावेगी।

यही कम अनुपस्थिति की दशा में आगे कमानुसार जारी रहेगा :—

क्र	आरक्षी केंद्र का नाम	न्या0मजि0 का नाम जो कथन लेख करेंगे।	न्या0मजि0 का नाम जो कॉलम 2 में वर्णित न्या0मजि0 के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे।	न्या0मजि0 का नाम जो कॉलम 3 में वर्णित न्या0मजि0 के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे
1	थाना कोतवाली, जी0आर0पी0, यातायात छिंदवाडा	श्रीमती चैनवती ताराम न्या0मजि0प्र0श्रेणी छिंदवाडा	सुश्री अंशुल मंगल न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।
2	थाना देहात एवं थाना अ0जा0क0	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन न्या0मजि0प्र0श्रेणी छिंदवाडा	प्रियांशु पाण्डेय न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।
3	थाना कुण्डीपुरा (चौकी धरमटेकडी सहित)	श्री प्रदीप सोनी. न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	श्री गुरूवेन्द्र कुमार हुरमाडे न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।

4	थाना मोहखेड चौकी उमरानाला सहित	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।	प्रियांशु पाण्डेय न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा
5	थाना लावाघोघरी चौकी सांवरी छिंदवाडा	सुश्री अंशुल मंगल, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	श्री गुरूवेन्द्र कुमार हुरमाडे न्या0मजि0द्वि0श्रेणी	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।
6	थाना सौंसर थाना लोधीखेडा (चौकी पिपला नारायणवार) थाना बिछुआ (चौकी खमारपानी) थाना मोहगांव	श्री जंग बहादुर सिंह राजपूत, न्या0मजि0प्र0श्रेणी पाढुंर्णा	सुश्री अंशुल मंगल जे0एम0एफ0सी0 छिन्दवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा
10	पाढुंर्णा (चौकी नांदनवाडी एवं बडचिचोली सहित)	श्री राकेश मरावी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी सौंसर	सुश्री प्रियंका सुमन न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	सुश्री अंशुल मंगल जे0एम0एफ0सी0 छिन्दवाडा
11	थाना परासिया (चौकी न्यूटन सहित) थाना चांदामेटा (चौकी बडकुही सहित)	श्री अल्तमस रहमान न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया	श्रीमती तबस्सुम खान न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया	सुश्री सुधा पाण्डे, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, जुन्नारदेव
13	थाना रावनवाडा/ शिवपुरी, उमरेठ	श्री अयान गिरदौनिया न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया	श्रीमती तबस्सुम खान न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया	श्री रूपेश नाइक न्या0मजि0प्र0श्रेणी, जुन्नारदेव
15	थाना जुन्नारदेव (चौकी डुंगरिया, गुढीअंबाडा सहित) थाना दमुआ, नवेगांव	सुश्री सुधा पाण्डेय न्या0मजि0प्र0श्रेणी जुन्नारदेव	श्री अल्तमस रहमान, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया	श्री अयान गिरदोनिर्या न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया
16	थाना तामिया (चौकी देलाखारी) माहुलझिर	श्री रूपेश नाइक न्या0मजि0प्र0श्रेणी जुन्नारदेव	श्री अयान गिरदोनिया न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया	श्री अल्तमस रहमान न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया
20	थाना अमरवाडा (चौकी सिंगोडी)	सुश्री पलक राय, न्या0मजि0प्र0श्रेणी अमरवाडा	सुश्री अंशुल मंगल, न्या0मजि0प्र0श्रेणी छिंदवाडा	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा
21	थाना हर्रई व बटकाखापा (चौकी धनोरा)	सुश्री संध्या मरावी न्या0मजि0प्र0श्रेणी अमरवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन जे0एम0एफ0सी0 छिन्दवाडा	श्री प्रदीप सोनी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा
23	थाना चौरई चौकी	सुश्री भानू पंडवार	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती,	सुश्री अंशुल मंगल

	हिवरखेडी	न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई छिंदवाडा	न्या0मजि0प्र0श्रेणी छिंदवाडा	जे0एम0एफ0सी0 छिन्दवाडा
24	थाना चांद	श्रीमती पुष्पा तिलगाम न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई छिंदवाडा	श्री प्रदीप सोनी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन जे0एम0एफ0सी0 छिन्दवाडा

—सही—
(अभिलाषा एन0 मवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छिन्दवाड़ा

<u>नोटः—</u>

1— आरक्षी केन्द्र कोतवाली, कुण्डीपुरा, देहात, जी0आर0पी0, मोहखेड, लावाघोघ ारी एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **जे0एम0एफ0सी0 श्री कुसुमहर चक्रवर्ती** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं0प्र0सं0 के कथन **श्री कुसुमहर चक्रवर्ती** के अलावा क्रमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

2— आरक्षी केन्द्र चांद, चौरई एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **जे0एम0एफ0सी0 श्रीमती पुष्पा तिलगाम** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं0प्र0सं0 के कथन **श्रीमती पुष्पा तिलगाम** के अलावा क्रमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

3— आरक्षी केन्द्र परासिया, चांदामेटा, रावनवाडा, शिवपुरी, उमरेठ एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **जे0एम0एफ0सी0 श्री अयान गिरदौनिया** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं0प्र0सं0 के कथन **श्री अयान गिरदौनिया** के अलावा क्रमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

4— आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, तामिया, दमुआ, नवेगांव एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **जे0एम0एफ0सी0 श्री रूपेश नाइक** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं0प्र0सं0 के कथन **श्री रूपेश नाइक** के अलावा क्रमानुसार सूची में

दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

5– आरक्षी केन्द्र सौंसर, मोहगांव, लोधीखेडा, बिछुआ एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **जे0एम0एफ0सी0 श्री राकेश कुमार मरावी** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं0प्र0सं0 के कथन **श्री राकेश कुमार मरावी** के अलावा क्रमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

6– आरक्षी केन्द्र अमरवाडा, बटकाखापा, हर्रई एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **सुश्री संध्या मरावी है**। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं0प्र0सं0 के कथन **सुश्री संध्या मरावी** के अलावा क्रमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

7– आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **जे0एम0एफ0सी0 श्री जंग बहादुर** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं0प्र0सं0 के कथन **श्री जंग बहादुर** के अलावा क्रमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

–सही–
(अभिलाषा एन0 मवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा

परिशिष्ट –ब

कॉलम नंबर–1 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कॉलम नंबर–2 में उल्लेखित, न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा कॉलम नंबर–2 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कॉलम नंबर–3 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी द्वारा अत्यावश्यक कार्य का संपादन किया जाएगा।

यही क्रम अनुपस्थिति की दशा में आगे क्रमानुसार जारी रहेगा :–

क्र0	कॉलम नं0–1	कॉलम नं0–2	कॉलम नं0–3
1	श्रीमती अभिलाषा एन0 मवार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाड़ा	श्री प्रदीप सोनी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाड़ा
2	श्रीमती चैनवती ताराम,	श्री प्रदीप सोनी	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती,

	न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाड़ा	न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाड़ा
3	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाड़ा	श्रीमती चैनवती ताराम, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाड़ा	श्री प्रदीप सोनी न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा
4	श्री प्रदीप सोनी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाड़ा	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाड़ा	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाड़ा
5	सुश्री अंशुल मंगल, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	श्री प्रदीप सोनी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा
6	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	सुश्री अंशुल मंगल, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा
7	गुरूवेन्द्र कुमार हुरमाडे, न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।	श्री प्रियांशु पाण्डेय , न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिन्दवाड़ा
8	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।	श्री प्रियांशु पाण्डेय, न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।	श्री गुरूवेन्द्र कुमार हुरमाडे न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।
9	श्री प्रियांशु पाण्डेय, न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।	गुरूवेन्द्र कुमार हुरमाडे, न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।	सुश्री निकिता वार्ष्णेय न्या0मजि0द्वि0श्रेणी छिंदवाडा।
10	श्री राकेश कुमार मरावी न्या0मजि0प्र0श्रेणी सौंसर छिन्दवाड़ा	श्री जंग बहादुर सिंह राजपूत,न्या0मजि0प्र0श्रेणी पाढुंर्णा	सुश्री प्रियंका सुमन न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा
11	श्री जंग बहादुर सिंह राजपूत न्या0मजि0प्र0श्रेणी पाढुंर्णा	श्री राकेश कुमार मरावी न्या0मजि0प्र0श्रेणी सौंसर छिन्दवाड़ा	श्री प्रदीप सोनी न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिंदवाडा
12	श्री अयान गिरदोनिया, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया जिला छिंदवाडा	श्री अल्तमस रहमान न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया जिला छिंदवाडा	श्रीमती तबस्सुम खान न्या0 मजि0 प्र0 श्रेणी परासिया, जिला छिन्दवाड़ा
13	श्री अल्तमस रहमान न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया जिला छिंदवाडा	श्री अयान गिरदोनिया, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया जिला छिंदवाडा	श्रीमती तबस्सुम खान न्या0 मजि0 प्र0 श्रेणी परासिया, जिला छिन्दवाड़ा
14	श्रीमती तबस्सुम खान न्या0 मजि0 प्र0 श्रेणी परासिया, जिला छिन्दवाड़ा	श्री अल्तमस रहमान न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया जिला छिंदवाडा	श्री अयान गिरदोनिया, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया जिला छिंदवाडा
15	श्री रूपेश नाइक न्या0मजि0प्र0श्रेणी जुन्नारदेव छिन्दवाड़ा	सुश्री सुधा पाण्डे न्या0मजि0प्र0श्रेणी जुन्नारदेव छिन्दवाड़ा	श्री अयान गिरदोनिया, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया जिला छिंदवाडा
16	सुश्री सुधा पाण्डे,	श्री रूपेश नाइक	श्री अल्तमस रहमान

	न्या0मजि0प्र0श्रेणी, **श्रृंखला न्यायालय** जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा	न्या0मजि0प्र0श्रेणी जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा	न्या0मजि0प्र0श्रेणी, परासिया जिला छिंदवाडा
17	सुश्री संध्या मरावी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, अमरवाडा जिला छिन्दवाडा	सुश्री पलक राय, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, अमरवाडा जिला छिन्दवाडा	सुश्री अंशुल मंगल न्या0मजि0प्र0श्रेणी, जिला छिन्दवाडा
18	सुश्री पलक राय न्या0मजि0प्र0श्रेणी, **श्रृंखला न्यायालय** अमरवाडा, जिला छिन्दवाडा	सुश्री संध्या मरावी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, अमरवाडा जिला छिन्दवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा
19	श्रीमती पुष्पा तिलगाम न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई, जिला छिन्दवाडा	सुश्री भानू पंडवार न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई जिला छिन्दवाडा म0प्र0	सुश्री अंशुल मंगल न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाडा
20	सुश्री भानू पंडवार न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई जिला छिन्दवाडा म0प्र0	श्रीमती पुष्पा तिलगाम न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई, जिला छिन्दवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा

विशेष नोटः– **प्रतिदिन विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कार्यदिवस में (अन्यथा आदेशित नहीं किये जाने की दशा में) रिमाण्ड कार्यवाही प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट उपरोक्त कार्यविभाजन के अनुसार सीनियार्टी पद क्रम के अनुसार प्रत्येक माह में लगातार 7–7 दिन क्रमशः रिमाण्ड सम्पादित करेंगे तथा साक्ष्य लेखन हेतु सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।**

नोटः–

1. किन्हीं अपरिहार्य कारणवश कॉलम नं–1 के न्यायालय के अवकाश पर होने के फलस्वरूप उनके न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य देखने वाले कॉलम क्रमांक 2 एवं 3 में लेख पीठासीन अधिकारियों के भी अवकाश पर रहने की स्थिति में परासिया न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय जुन्नारदेव में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा जुन्नारदेव न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय परासिया में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा अमरवाडा न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय छिंदवाडा में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी अथवा मुख्यालय छिंदवाडा में उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा चौरई न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय छिदंवाडा में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी अथवा उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा सौंसर न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय पाढुंर्णा में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) तथा पाढुंर्णा न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय सौंसर में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी या उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जायेगे।

2. यदि स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाला न्यायालय या

उनका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो गिरफ्तारी वारण्ट तामीली पश्चात् उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएगे। अन्य स्थितियों में स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट की तामीली जिस पुलिस थाना द्वारा की गई है, उस पुलिस थाना का कार्य देख रहे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाएगे।

3. जिला स्थापना पर प्राप्त ऐसे आदेश/निर्णय अभिलेख प्रपत्र जो मान्नीय उच्चतम न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय एवं अन्य मान्नीय वरीष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होते हैं, यदि विचारण न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय मौजूद है तब वहां प्रस्तुत किये जायेंगे अन्य स्थितियों में परिणाम दर्ज किये जाने एवं आनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु मुख्यालय छिंदवाडा की स्थिति में **न्या0मजि0प्र0श्रेणी श्री प्रदीप सोनी** के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। तहसीलों में न्यायालय या पद उत्तरवर्ती न्यायालय के अस्तित्व में न होने की स्थिति में आवेदन वहां पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

4. किसी भी प्रकार के विविध आवेदन, जमानत निरस्त करना, अर्थदण्ड की वापसी, आदि के संबंध में आवेदन यदि न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो वंहा प्रस्तुत किये जायेंगे। न्यायालय या पद उत्तरवर्ती न्यायालय के अस्तित्व में न होने की स्थिति में छिंदवाडा मुख्यालय में आवेदन **श्री कुसुमहर चकवर्ती जे0एम0एफ0सी** के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। तहसीलों में न्यायालय या पद उत्तरवर्ती न्यायालय के अस्तित्व में न होने की स्थिति में आवेदन वहां पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

5. किसी/किन्हीं न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण अथवा अवकाश पर रहने की दशा में प्रभारी मजिस्ट्रेट उक्त न्यायालय के समस्त आवश्यक दाण्डिक कार्य करेंगे, जिनमें सुपुर्दगी एवं जमानत आवेदनों का निराकरण, रिमाण्ड कार्यवाही, नए प्रस्तुत संक्षिप्त विचारणीय अभियोग पत्र/परिवाद पत्रों का स्वीकारोक्ति के आधार पर निराकरण, अभियोग पत्र ग्रहण करना प्रतिलिपियों के लिए मंजूरी देना भी शामिल है। साथ ही अचानक कार्यदिवस के दौरान अवकाश घोषित होने की दशा में स्थापना एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ सबसे कनिष्क न्यायिक अधिकारी उपलब्धता के अनुसार रिमाण्ड एवं अन्य कार्यवाही निष्पादित करेंगे।

अनुमोदनार्थ ।

–सही–
(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा

–सही–
(अभिलाषा एन0 मवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा

पृष्ठांकन क0/ /का0वि0/2020 छिन्दवाड़ा दिनांक

प्रति,

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
2. निज सहायक, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा।
3. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, एट्रोसिटी, छिंदवाड़ा।
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय छिंदवाडा ।
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाडा ।
6. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जुन्नारदेव जिला छिंदवाडा।
7. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौंसर
8. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौंसर के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला छिंदवाडा ।
9. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चौरई जिला छिंदवाडा ।
10. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमरवाड़ा ।
11. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा ।
12. श्रीमती चैनवती ताराम, जे0एम0एफ0सी0 छिंदवाडा।
13. श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, जे0एम0एफ0सी0 छिंदवाड़ा ।
14. श्री प्रदीप सोनी, जे0एम0एफ0सी0 छिंदवाड़ा ।
15. सुश्री अंशुल मंगल, जे0एम0एफ0सी0 छिंदवाडा।
16. सुश्री प्रियंका सुमन, जे0एम0एफ0सी0 छिंदवाडा।
17. गुरूवेन्द्र कुमार हुरमाडे, जे0एम0एस0सी0 छिंदवाडा।
18. सुश्री निकिता वार्ष्णेय, जे0एम0एस0सी0 छिंदवाडा।
19. श्री प्रियांशु पाण्डेय, जे0एम0एस0सी0 छिंदवाडा।
20. सुश्री संध्या मरावी, जे0एम0एफ0सी0 अमरवाडा।
21. सुश्री पलक राय, जे0एम0एफ0सी0 अमरवाडा।
22. श्रीमती पुष्पा तिलगाम, जे0एम0एफ0सी0 चौरई।
23. सुश्री भानू पंडवार, जे0एम0एफ0सी0 चौरई।
24. श्री जंग बहादुर राजपूत, जे0एम0एफ0सी0 पांढुर्णा।
25. श्री रूपेश नाइक जे0एम0एफ0सी0 जुन्नारदेव।
26. सुश्री सुधा पाण्डेय जे0एम0एफ0सी0 जुन्नारदेव।
27. श्री अयान गिरदौनिया, जे0एम0एफ0सी0 परासिया।
28. श्रीमती तबस्सुम खान, जे0एम0एफ0सी0 परासिया।
29. श्री अल्तमश रहमान, जे0एम0एफ0सी0 परासिया।
30. श्री राकेश कुमार मरावी, जे0एम0एफ0सी0 सौंसर।
31. सांख्यिकी अनुभाग– कार्यालय जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा।
32. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र कोतवाली ।
33. आरक्षी केन्द्र देहात छिंदवाड़ा ।
34. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र कुंडीपुरा ।
35. आरक्षी केन्द्र प्रभारी आरक्षी केन्द्र यातायात छिन्दवाड़ा ।
36. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र जी0आर0पी0।
37. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र अ0जा0कं0 छिन्दवाड़ा।
38. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र मोहखेड़ ।
39 पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी धरमटेकडी।
40. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी उमरानाला।
41. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र लावाघोघरी।
42. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी सांवरी ।
43. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र सौंसर।
44. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र मोहगांव ।
45. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र बिछुआ।
46. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी खामरपानी।
47. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र लोधीखेड़ा ।

48. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी पिपलानारायणवार।
49. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा ।
50. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी बड़चिचोली ।
51. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी नांदनवाड़ी ।
52. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र परासिया ।
53. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी न्यूटन ।
54. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र रावनवाड़ा/शिवपुरी ।
55. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र चांदामेटा।
56. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी बडकुही।
57. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र उमरेठ।
58. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव।
59. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी डुंगरिया।
60. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी गुढ़ी अम्बाड़ा।
61. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र दमुआ।
62. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र तामिया।
63. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी देलाखारी ।
64. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र नवेगांव।
65. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र माहुलझिर।
66. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा।
67. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी सिंगौड़ी ।
68. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र हर्रई।
69. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र बटकाखापा।
70. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी धनोरा।
71. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र चौरई।
72. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी हीवरखेड़ी।
73. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द चांद।
74. जिला आबकारी अधिकारी छिन्दवाड़ा ।
75. जिला खनिज अधिकारी।
76. मुख्य वन संरक्षक छिंदवाडा।
77. उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छिंदवाडां।
78 कलेक्टर छिंदवाडा।
79. पुलिस अधीक्षक छिंदवाडा वास्ते समस्त थाना अंतर्गत पुलिस चौकियों में परिचालित कराये जाने हेतु।
80 लोक अभियोजक छिंदवाडा।
81. कमिश्नर नगर निगम छिंदवाडा।
82. उपसंचालक लोक अभियोजन छिंदवाडा।
83. जिला अभियोजन अधिकारी छिन्दवाड़ा।
84. सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर/पांढुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई।
85. अध्यक्ष अभिभाषक संघ छिन्दवाड़ा/सौंसर/पांढुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई।

–सही–
(अभिलाषा एन0 मवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा